

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ले.ह./नि.वि.-1/वर्ग-1/442/2024/MACP/खंड-1/1377

दिनांक: 12-02-2026

### कार्यालय आदेश

Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रभागीय लेखाकारों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 6 से वेतन स्तर 7 में वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की महालेखाकार महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गयी है:

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	नाम (श्री/सुश्री...)	MACPS के अंतर्गत प्रथम उन्नयन की प्रभावी तिथि
1.	1498	शरद कुमार कुशवाहा	12-02-2026

2. एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संबंधित कर्मचारी के लिए पूर्णतः व्यक्तिगत है तथा उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है।

3. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत भी इस शर्त के साथ उपलब्ध है कि अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत कर दे।

  
13/2/26


वरिष्ठ उप महालेखाकार/निर्माण

पत्रांक: ले.ह./नि.वि.-1/वर्ग-1/442/2024/MACP/खंड-1/632-636

दिनांक: 12-02-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक), उ.प्र., प्रयागराज।
2. संबंधित अधिशाषी अभियंता को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस अनुरोध के साथ कि वेतन निर्धारण हेतु विकल्प सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी से एक माह के भीतर प्राप्त कर उसे अधिकारी/कर्मचारी के वेतन निर्धारण ज्ञापन के साथ उन्नत वेतन स्तर में वेतन निर्धारण हेतु इस कार्यालय के WM-II अनुभाग को प्रेषित करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ WM-II, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को ऑफिस कि वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. सम्बंधित प्रभागीय लेखाकार को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-1